

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/190

दिनांक: 16 अगस्त, 2013

### आदेश

निदेशालय द्वारा प्राचार्यों को जारी पत्र क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/586 दिनांक 14.09.2012, क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/786 दिनांक 12.10.2012 एवं क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/1278 दिनांक 28.02.2013 के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर पूर्णतया अस्थायी तौर पर व्याख्याताओं को रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में याचिका संख्या 16702/12 एवं समान अन्य याचिकाओं के निर्णय के अनुसार शेष रहे निम्न याचियों को उनकी सम्मुख अंकित महाविद्यालयों में तुरन्त प्रभाव से संविदा के आधार पर अध्यापन कार्य कराये जाने हेतु लगाया जाता है:-

क्र.सं.	नाम (डा/श्री/रीमती/सुश्री)	विषय	संविदा पर रखे जाने हेतु निर्धारित महा.
1.	विशाल काटिया	इतिहास	राज. महा. टोंक
2.	सोनम पटेल	एबीएसटी	राज. महा. सलुम्बर
3.	संतोष गोमतीवाल	राजनीति शास्त्र	राज. महा. बालोतरा

पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तें पत्र दिनांक 14.09.2012, 12.10.2012 एवं 28.02.2013 के अनुसार ही रहेगी। उक्त अभ्यर्थियों हेतु माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में योग्यता संबंधी दिशा-निर्देशों में NET/SLET उत्तीर्ण होने संबंधी बाध्यता में छूट रहेगी। इनका पदस्थापन उपरोक्त याचिकाओं के तथा उनमें दायर अपील/एस.एल.पी. के निर्णयों में अध्ययधीन होगा।

(नवीन जैन)  
निदेशक

8/8

क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/190

दिनांक: 16 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित प्राचार्य, संविदा व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर पालना रिपोर्ट फैंक्स द्वारा भिजवायें।
3. संबंधित याची।
4. विधी शाखा।
5. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को उक्त आदेश वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

(डा0 आर के कोठारी)  
संयुक्त निदेशक